



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 57-2023 Ext.]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2023
(30 फाल्गुन, 1944 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान संख्या का०आ० 5/के०अ० 29/1986/घा०5/2023, दिनांक 21 मार्च, 2023— जन-साधारण तथा पक्षियों को "चीनी धागे/मांझा" क नाम से प्रसिद्ध या शीशे/धातु के घटकों से लेपित किसी अन्य धागे सहित प्लास्टिक, नायलॉन या अन्य सिंथेटिक सामग्री से निर्मित पतंग उड़ाने वाले धागे को निषेध करने बारे।	25-28
भाग IV	शुद्धि पर्वी, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं	

भाग—III

हरियाणा सरकार

पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव विभाग

निर्देश

दिनांक 21 मार्च, 2023

संख्या का०आ० 5/के०अ० 29/1986/धा० 5/2023.— चूंकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 48-क में अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा जन साधारण, वन तथा वन्य जीवन की सुरक्षा पर विचार करता है, राज्य पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा देश के जन साधारण, वन तथा वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा;

और चूंकि, पतंग उड़ाने के दौरान "चीनी धागे/मांझा" के नाम से प्रसिद्ध या शीशे /धातु के घटकों से लेपित किसी अन्य धागे सहित प्लास्टिक, नायलोन या इसी प्रकार की सिंथेटिक सामग्री से निर्मित धागे के इस्तेमाल के कारण जन साधारण तथा पक्षियों को काफी चोटें लगती हैं। ये चोटें कई बार प्राण घातक सिद्ध होती हैं, जिससे जन-साधारण तथा पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए, जन साधारण तथा पक्षियों को "चीनी धागे/मांझा" के नाम से प्रसिद्ध या शीशे /धातु के घटकों से लेपित किसी अन्य धागे सहित प्लास्टिक, नायलोन या इसी प्रकार की अन्य सिंथेटिक सामग्री से निर्मित पतंग उड़ाने वाले धागे के प्राणघातक दुष्प्रभाव से बचाना वाछंनीय है।

और चूंकि, पतंग उड़ाने के दौरान पतंग प्रतियोगिता या अन्यथा से आसमान में अनेक पतंगे कट जाती हैं। पतंग सहित ये सभी कटे हुए धागे जमीन पर पड़े रहते हैं। प्लास्टिक सामग्री की अत्यधिक दीर्घ आयु तथा स्वरूप में गैर-विघटनशील होने के कारण पर्यावरण की दृष्टि से उपरोक्त कथित धागे चिंता का विषय है।

और चूंकि, ऐसे पतंग उड़ाने वाले धागों, जो गैर विघटनशील हैं, के व्यापक उपयोग से बिजली का प्रवाह अक्सर लाईनों और सब स्टेशनों पर पलैश ओवर में बदलता रहता है, जिस कारण उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई में रुकावट हो सकती है, इलैक्ट्रॉनिक सम्पत्तियों को हानि और क्षति पहुंच सकती है जिससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जीवन की क्षति और हानि हो सकती है।

और चूंकि, यह सर्वविदित तथ्य है कि प्रातः छह बजे से आठ बजे और सांय पांच बजे से सात बजे के दौरान पक्षियों की गतिविधियां अधिकाधिक होती हैं तथा यह उन गिद्धों सहित पक्षियों की रक्षा करने के लिए वाछंनीय है, जो दिनों-दिन लुप्त होते जा रहे हैं और जो दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, और उन्हें इस प्रकार के घातक पतंग उड़ाने वाले धागे/मांझे से बचाने की आवश्यकता है;

इसलिए, अब भारत सरकार, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव विभाग) अधिसूचना संख्या का०आ० 152 (ई), दिनांक 10 फरवरी, 1988 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केंद्रीय अधिनियम 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपबंधों के अनुसरण में और हरियाणा सरकार, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग, निर्देश संख्या का०आ० 22/के०अ० 29/1986/धा० 5/2019, दिनांक 12 मार्च, 2019 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं :-

निर्देश

1. नायलोन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने पतंग उड़ाने वाले धागे, इसमें 'चीनी मांझा' नाम से प्रसिद्ध तथा कोई अन्य पतंग उड़ाने वाले धागे भी शामिल हैं, जो तीखा है या उसे शीशे, धातु या किसी तीखी सामग्री की किनारी लगाकर इस प्रकार तीखा बनाया गया है, की हरियाणा राज्य में बिक्री उत्पादन, भण्डारण, आपूर्ति, आयात तथा उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा।
2. किसी तीखी/धात्विक/शीशे के घटकों/चिपचिपी/धागे को मजबूत बनाने वाली सामग्रियों से मुक्त, केवल सूती धागे के साथ पतंग उड़ाने की अनुमति होगी।

प्राधिकृत अधिकारी

निम्नलिखित अधिकारियों को सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर इस अधिसूचना को कार्यन्वित करने के लिये, इसके द्वारा, प्राधिकृत किया जाता है, अर्थात्:-

1. राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग के सभी अधिकारी जो नायब तहसीलदार की पदवी से नीचे के न हो।
2. पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव विभाग के सभी अधिकारी जो वन्य प्राणी के निरीक्षक की पदवी से नीचे के न हो।
3. हरियाणा पुलिस के सभी अधिकारी जो उप-निरीक्षक की पदवी से नीचे के न हो।
4. हरियाणा की नगर समितियों के कार्यकारी अधिकारी, सचिव, नगर अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता तथा सफाई निरीक्षक।

निगरानी

भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ0394(अ), दिनांक 16 अप्रैल, 1987 द्वारा प्राधिकृत अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उप मण्डलीय मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र/अधिकारिता के भीतर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29), की धारा 19 के अधीन शिकायत दायर करेंगे।

उपमंडलीय मजिस्ट्रेट, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग के नायब तहसीलदारों तथा उससे उच्च पद के अधिकारियों, हरियाणा पुलिस के उप-निरीक्षकों तथा उनसे उच्च पद के अधिकारियों, हरियाणा की नगर समितियों के सफाई निरीक्षकों, सामान्य अनुज्ञाति निरीक्षकों तथा जन स्वास्थ्य निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करेंगे।

सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव विभाग के वन्य प्राणी निरीक्षकों तथा उनसे उच्च पद के अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे। उपमंडलीय मजिस्ट्रेट तथा सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संकलन के बाद मासिक रिपोर्ट अध्यक्ष, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे।

विनित गर्ग,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
ENVIRONMENT, FORESTS AND WILD LIFE DEPARTMENT

Directions

The 21st March, 2023

No. S.O. 5/C.A. 29/1986/S.5/2023.— WHEREAS, article 48-A of the Constitution of India, inter-alia envisages protection and improvement of environment and safeguarding of people, forests and wild life. The State shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the people, forests and wildlife of the country;

AND WHEREAS, during the kite flying, a lot of injury is caused to the people and birds on account of use of thread made out of plastic, nylon or similar such synthetic material including popularly known "Chinese thread/manja" or any other thread coated with glass/metallic components. These injuries many a times turn out to be fatal causing death of people and birds. It is, therefore, desirable to protect the people and birds from the fatal effects of the kite flying thread made out of plastic, nylon or similar such synthetic material including popularly known "Chinese thread/manja" or any other thread coated with glass/metallic components;

AND WHEREAS, during kite flying several kites get cut in the sky as a consequence of kite competition or otherwise. All these cut threads long with the kites remain on the land. Because of the very long life of the plastic materials and being non-biodegradable in nature, these threads become a cause of concern from environment point of view;

AND WHEREAS, extensive use of such kite flying thread which are non biodegradable, conductors of electricity often result in flash-over on the power lines and sub-stations, which may cause power interruptions to consumers, straining and damaging electrical assets, causing accidents, injuries and loss of life;

AND WHEREAS, it is also a well known fact that the activity of the birds is at peak during 6:00AM to 8:00AM in morning and from 5:00PM to 7:00PM in evening and it is desirable to protect the birds including the vultures which are getting extinct day by day and classified as rare and endangered species, and there is a need to protect them from such fatal kite flying thread/manja;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act 29 of 1986) read with the Government of India, Ministry of Environment and Forest (Department of Environment, Forest and Wildlife), Notification No.S.O. 152(E), dated the 10th February, 1988 and in pursuance of the rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, and with reference to Haryana Government, Environment and Climate Change Department, notification no. S.O. 22/CA 29/1986/Const. 51/2019, dated 12th March, 2019 the Governor of Haryana, hereby, issues the following directions:-

Directions:-

1. There shall be complete ban on the sale, production, storage, supply import, and use of kite flying thread made out of the nylon, plastic or any other synthetic material including popularly known as "Chinese Manja" and any other kite-flying thread that is sharp such as by being laced with glass, metal or any other sharp materials in the State of Haryana.
2. Kite flying shall be permissible only with a cotton thread, free from any sharp/metallic/glass components adhesives/thread strengthening materials.

Authorized Officers:-

The following officers are hereby authorized to implement this notification in their respective jurisdiction as per guidelines issued by State Government, namely:-

1. All the officers of the Revenue and Disaster Management Department not below the rank Naib Tehsildars;
2. All the officers of the Environment, Forest and Wildlife Department not below the rank of Wildlife Inspectors;
3. All the officers of the Haryana Police not below the rank Sub-Inspectors;
4. Executive Officer, Secretary, Municipal Engineer, Junior Engineer and Sanitary Inspectors of the Municipal Committees/Municipal Councils and Municipal Corporations.

Monitoring:-

As mentioned in the Notification No.S.O.394 (E), dated 16th April, 1987 issued by the Government of India, Ministry of Environment and Forests Department, the Chairman and Member Secretary; Haryana State Pollution Control Board and the Sub-Divisional Magistrates of the respective area/jurisdiction are authorized to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act 29 of 1986).

THE SUB-DIVISIONAL MAGISTRATES shall take action on the basis of the report submitted by Naib Tehsildars and above of Revenue Department, Sub-Inspectors and above of Haryana Police and Executive Officer, Secretary, Municipal Engineer, Junior Engineer and Sanitary Inspectors of the Municipal Committees/Municipal Councils and Municipal Corporations.

Member Secretary, Haryana State Pollution Control board shall initiate action on the basis of the report submitted by the Wildlife Inspectors and above of the Environment, Forest and Wildlife Department. Sub-Divisional Magistrates and Member Secretary, Haryana State Pollution Control Board shall submit monthly report to Chairman, Haryana State pollution Control Board after compilation.

VINEET GARG,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Environment, Forests and Wild Life Department.